7/संख्या-1332/11-सं0वि0क0नि0-7-2015-312(235)/07

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **समस्त जिलाधिकारी,**
   उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)**
   उत्तर प्रदेश ।
3. **समस्त उप/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,**
   उत्तर प्रदेश।

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-7 लखनऊ: दिनांक 05 फरवरी, 2015

विषय- बड़े मूल्य के लेखपत्रों द्वारा अन्तरित सम्पत्ति के स्थल निरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-1510/11-5-2009-312(235)/07, दिनांक 05-05-2009, कर एवं निबन्धन अनुभाग-5 के पत्र संख्या-क0नि0-5-1724/11-2008-312(235)/07, दिनांक 23-04-2008 एवं पत्र संख्या-4048/11-5-2008-312(235)07, दिनांक 05-11-2008 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रत्येक जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) एवं उप/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन द्वारा अपने-अपने जनपदों में क्रमश: 5, 25 व 50 बड़े मूल्य के लेखपत्रों द्वारा स्थल निरीक्षण करने के निर्देश दिये गये है। उक्त पत्र में यह भी अपेक्षा की गयी थी कि ऐसे प्रकरणों में यदि विभागीय कार्मिक कदाशयता में सम्मिलित पाये जाते है तो उनके विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति शासन को उपलब्ध कराई जाए तथा निर्धारित प्रारूप पर सूचना प्रत्येक माह की 07 तारीख तक महानिरीक्षक, निबन्धन को भेजा जाए।

http://shasnadesh.up.nic.in

2. शासन के संज्ञान में आया है कि निरन्तर स्मरण कराये जाने पर भी कतिपय जिलाधिकारियों एवं अपर जिलाधिकारियों (वि0/रा0) द्वारा या तो स्थल निरीक्षण किये ही नहीं गये है, या मानक से कम किये गये है, जिससे जनपद के निर्धारित शासकीय राजस्व के लक्ष्य की प्राप्ति शतप्रतिशत नहीं हो पा रही है। यह स्थिति अत्यन्त खेद जनक है।

अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए मासिक सूचनाएं निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 07 तारीख तक महानिरीक्षक निबन्धन को उपलब्ध कराते हुए उसकी प्रति शासन को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-यथोक्त, तददिनांक

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, नियुक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उपर्युक्त के संदर्भ में अपने स्तर से भी समस्त जिलाधिकारियों/अपर जिलाधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

2. महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

(सुधीन्द्र कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in